कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 29 माघ, शक संवत् 1946

(18 फरवरी, 2025 ई0)

खण्ड-528

अंक-01

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' के सामूहिक गान से आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही संसदीय कार्य मंत्री ने उप चुनाव में निर्वाचित मा0 सदस्य, विधान सभा को शपथ दिलाए जाने हेतु अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-273, अयोध्या के उप चुनाव में निर्वाचित श्री चन्द्रभानु पासवान को पद की शपथ दिलायी गयी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 मुख्य मंत्री जी की सहमति से विधान सभा मण्डप में एक व्यवस्था विकसित की गयी है, जिससे मा0 सदस्यगण को क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखने में सहजता होगी और उनके द्वारा व्यक्त भावों को सदन अपनी सुविधानुसार उनकी भाषा में 0-नं0 पर, 1 पर अवधी, 2 पर भोजपुरी, 3 पर ब्रज, 4 पर बुन्देली तथा 5 नं0 पर इंग्लिश में सुन कर समझ सकेंगे। यह व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान देगी।

इस पर नेता विरोधी दल ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि विधान सभा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसे हटाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजी को ला करके हिन्दी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। साथ ही उर्दू भाषा को महत्व नहीं दिया गया है।

इस पर नेता सदन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की विभिन्न बोलियों को सम्मान मिलेगा। सरकार विभिन्न एकेडमियों के गठन के माध्यम से हिन्दी की उप भाषाओं के संरक्षण एवं विकास का प्रयास भी कर रही है। यह सदन केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों का नहीं है, बल्कि आम-जन का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 सदस्यगण का है। सरकार के प्रयास भाषा समृद्धि के आधार हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए श्री अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से मा0 सदस्यगण अपनी बोल-चाल की भाषा में अपनी बात कह सकेंगे। अंग्रेजी भाषा को न तो अनिवार्य किया जा रहा है और न ही किसी पर इसे थोपा जा रहा है। कोई भी अंग्रेजी भाषी व्यक्ति यदि अंग्रेजी में विधान सभा की कार्यवाही सुनना चाहेगा, तो सुन सकेगा। किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखने में कुछ भी गलत नहीं। यह हमारी संस्कृति और विधान सभा का विस्तार है।

इस पर श्री इकबाल महमूद द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रस्तुत होने पर बोलिएगा।

तदुपरान्त मा0 श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों को आज दिये गये अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ आरम्भ करने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। तदुपरान्त मा0 श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया।

श्री कमाल अख्तर द्वारा अभिभाषण की प्रतियां वितरित कराए जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि सभी मा0 सदस्यों के टैबलेट में अभिभाषण अपलोड हो चुका है। प्रतियाँ वितरित की जा रही हैं।

तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित मा0 सदस्यों को आज उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

1-श्री वेद प्रकाश गुप्ता,

2-श्री कैलाश नाथ शुक्ल।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

उप मुख्य मंत्री ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 ''शिकायत निवारण तंत्र'' की धारा-16 की उपधारा (6) (च) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का 2017-18 एवं 2018-19 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2018-2019, वर्ष 2019-2020 एवं वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखे को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया कि-

(1) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(ii) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(iii) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(iv) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(v) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) विधेयक, 2024

(vi) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024

(vii) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024

(2) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

(ii) उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

(3) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

(ii) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक

26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का बीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का बाइसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का तेइसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवाँ अधिनियम बन गया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2025 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2025 से दिनांक 05 मार्च, 2025 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 फरवरी, 2025 को निधन के निदेश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जाएं।

2-दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-56 की सूचनाएं न ली जाएं।

3-दिनांक 24 फरवरी, 2025 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण करा लिया जाय।

दिनांक 18 फरवरी, 2025 से दिनांक 05 मार्च, 2025 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2025

18 मंगलवार

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12:30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

फरवरी, 2025

19 बुधवार	1-निधन के निदेश अर्थात् निधन की सूचना। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा। 3-विधायी कार्य।
20 गुरुवार	**1-11:00 बजे पूर्वाह्न** वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा। 3-विधायी कार्य।
21 शुक्रवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा। 2-विधायी कार्य। 3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
22 शनिवार 23 रविवार	बैठक नहीं होगी।
24 सोमवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण। 2-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 3-विधायी कार्य।
25 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
26 बुधवार	बैठक नहीं होगी (महाशिवरात्रि का अवकाश)।
27 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
28 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य। 3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

मार्च, 2025

01 शनिवार 02 रविवार	बैठक नहीं होगी।
03 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।

04 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
	2-विधायी कार्य।
05 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
	2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 01:00 बजे अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 274 विधान सभा (437)-20-02-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।